

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil Second Appeal No. 07/2017

28.9.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता सुश्री सुनीता पारीक।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री डी के गर्ग।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या **27576/2018** अन्तर्गत **आदेश 41 नियम 27 सीपीसी** पर सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न धारा 107, 116, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही एवं आदेश (एनेक्सचर 1 व 2) से प्रत्यर्थीगण द्वारा पेड काट कर ले जाने का तथ्य मामले से सुसंगत है, अतः उक्त कार्यवाही एवं आदेश (एनेक्सचर 1 व 2) को अभिलेख पर लिया जावें।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने उक्त कथनों का विरोध करते हुए कथन किया गया कि उक्त दस्तावेज मामले से सुसंगत नहीं हैं, अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं विचार किया गया।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मूल रूप से एस डी कोटपूतली, जिला जयपुर के समक्ष एसएचओ थाना-कोटपूतली,

जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा इससे सम्बन्धित आदेश को अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की गई हैं। किन्तु स्वीकृत रूप से उक्त दोनों दस्तावेज फौजदारी प्रकरण से सम्बन्धित हैं, जबकि पक्षकारों के मध्य मूल रूप से धन-वसूली का विवाद है, जिसके क्रम में यह अपील प्रस्तुत हुई है।

ऐसी स्थिति में, उक्त दोनों दस्तावेज, इस अपील से सुसंगत नहीं होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति की रोशनी में यह भी प्रकट हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद वर्ष 1998 में प्रस्तुत हुआ था, जिसका निस्तारण अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.12.2007 को किया गया एवं तत्पश्चात् प्रथम अपीलिय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण दिनांक 16.11.2016 को किए जाने के उपरान्त वर्तमान द्वितीय अपील वर्ष 2017 में इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य विवाद लगभग 20 वर्षों से लम्बित है।

अतः दोनों पक्षकारों के निवेदन एवं सहमति के आधार पर **अभिलेख तलब किया जाकर** प्रकरण दिनांक 5.10.2018 को वास्ते सुनवाई सूचीबद्ध किया जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति